न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 3/अपील/2020 (GCMS No. 2020/00034)	25.02.2020	16.07.2024

मृतका तारावती पुत्री गोपाल पुरी पत्नी भगवान गिरी जाति बाबाजी, निवासी शिवमंदिर के पास, कन्सुवा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
(मृतक जर्ये वारिसान) :–
1/1. विमला पुत्री भगवान गिरी माता तारावती जाति बाबाजी
1/2. चेतना पुत्री भगवान गिरी माता तारावती जाति बाबाजी
1/3. विजय पुत्र भगवान गिरी माता तारावती जाति बाबाजी
नि. शिवमंदिर के पास, कन्सुवा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– अपीलान्टस

वनाम

1. कमल आ. गोपाल जाति बाबाजी निवासी अलगोजा के आगे, नैनवां रोड, बून्दी
2. श्याम पुरी आ. गोपाल जाति बाबाजी निवासी बैंक के सामने, ग्राम नमाना, तहसील एवं जिला बून्दी
3. पप्पू आ. गोपाल जाति बाबाजी निवासी बैंक के पास, ग्राम नमाना, तहसील एवं जिला बून्दी
4. सूरज पुत्री गोपाल पत्नी रमेश गोस्वामी जाति बाबाजी निवासी बालिता रोड, कुन्हाडी कोटा
5. चन्दा पुत्री गोपाल पत्नी नेमीचंद गोस्वामी जाति बाबाजी निवासी मण्डी रोड़ सुल्तानपुर, तहसील दिगोद, जिला कोटा
6. शारदा पुत्री गोपाल पत्नी गिरिराज गोस्वामी जाति बाबाजी निवासी ग्राम खटकड़, तहसील एवं जिला बून्दी
7. मनोज आ. प्रकाश जाति बाबाजी निवासी नागदी बाजार चेनराय जी का कटला, बून्दी
8. भंवर आ. प्रकाश जाति बाबाजी निवासी नागदी बाजार चेनराय जी का कटला, बून्दी
9. कैलाशबाई पत्नी प्रकाश जाति बाबाजी निवासी नागदी बाजार चेनराय जी का कटला, बून्दी
10. लक्ष्मी पुत्री प्रकाश पत्नी महावीर गोस्वामी जाति बाबाजी निवासी बस स्टेण्ड सुवांसा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

11. अन्जू पुत्री प्रकाश पत्नी मुकेश गोस्वामी जाति बाबाजी
    निवासी लाडपुरा, जिला कोटा।
12. चेतन पुत्र भगवान गिरी माता तारावती जाति बाबाजी
    नि. शिवमंदिर के पास, कन्सुवा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
13. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री रामकुमार दाधीच, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 3,4,7,8,9,10,11 की ओर से श्री कैलाश गुप्ता एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 5, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पोडेन्ट सं. 13 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 2207 दिनांक 23.06.2017 ग्राम नमाना से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण सहखातेदार गोपाल आ. देवपुरी के फोत हो जाने पर उसकी वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 3/2020 पर दर्ज रंजिस्टर की जाकर GCMS No. 2020/00034 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम नमाना की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 75 के नया खाता सं. 801 पुराना खाता सं. 148 के खसरा सं. 493 रकबा 2.3378 हैक्टेयर, खसरा सं. 780 रकबा 0.3614 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें गोपाल आ. देवपुरी का 1/3 हिस्सा का हक निहित था। खातेदार गोपाल की दिनांक 21.04.2015 को मृत्यु हो जाने के पश्चात कानूनी रूप से उसके वारिसान का नाम जर्ये फोती नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु नामान्तरकरण सं. 2207 दिनांक 23.06.2017 द्वारा उक्त मृतक गोपाल के हिस्से के संबंध में गोपाल के वारिसान पुत्री मृतका तारावती के पुत्र–पुत्रिया (अपीलांटस एवं रेस्पो.सं. 12) का नाम अंकित नहीं कर, केवल मृतक गोपाल के पुत्र रेस्पो. कमल, श्याम, पप्पू एवं पुत्रिया सूरज, शारदा, चन्दा एवं गोपाल के मृतक पुत्र प्रकाश के वारिसान रेस्पो.सं. 8 लगायत 11 का नाम वारिसान में दर्शाकर हिस्सारस्सी अंकित कर दी गई। जबकि खातेदार गोपाल

के हिस्से 1/3 में उसके पुत्री तारावती पत्नी भगवान गिरी का भी हक निहित है। पुत्री तारावती की मृत्यु खातेदार पिता गोपाल के जीवनकाल में होने से उसके वारिसान अपीलांटस व रेस्पो.सं.12 भी मृतक गोपाल के हिस्से की भूमि के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी वरीयता के अधिकारी होने से उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार गोपाल के सभी वारिसान की जांच नहीं की गई और न ही वारिसान को सुनवाई का मौका दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं कानून की अनदेखी करते हुये बिना सम्पूर्ण जांच प्रकिया अपनाये वाद विषयक इन्तकाल तस्दीक करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की है जो निरस्त योग्य है। अपील विषयक इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.02.2020 को हुई। दिनांक 11.02.2020 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत की गई। फिर भी यदि किसी कारणवश देरी मानी जावे तो न्यायहित में देरी कन्डोन फरमाने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलांटस एवं रेस्पो.सं.12 को भी खातेदार गोपाल के वारिसान के रूप में फोती इंतकाल में दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 3,4,7,8,9,10,11 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का आगे गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा यह अपील देरी से पेश की गई है। अपील देरी से पेश किये जाने के कारण मियाद बाह होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपील को मिया के बिन्दू पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कि तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्र मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधी नामान्तरकरण दिनांक 23.06.2017 की दिनांक 10.02.2020 को जानकारी हो प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। नामान्तकरण नकल प्राप्त कर दिनांक 19.02.2020 को हस्तगत अपील पेश की ग लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानक की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अ अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम नमाना की जमाबंदी सवंत् 2068–2071 में अंकित आराजी 17 बीघा 11 बिस्वा गोपाल वल्द देवपुरी हिस्सा 1/3 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। सहखतोदार गोपाल के दिनांक 21.04.2015 को फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में फोती नामान्तरकरण संख्या 2207 दिनांक 23.06.2017 को तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि वे मृतक खातेदार गोपाल की वारिस पुत्री मृतक तारावती के विधिक वारिस होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण में उत्तराधिकारी के रूप में नाम दर्ज करवाने के हकदार है। जबकि रेस्पो. द्वारा अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा(Transfer Certificate) के अवलोकन से प्रकट है कि ताराबाई के पिता का नाम गोपाललाल निवासी नमाना होना अंकित है। मृत्यु का प्रमाण पत्र दिनांक 10.10.2000 में तारावती गोस्वामी पत्नी भगवान गोस्वामी की दिनांक 04.06.2000 को मृत्यु हो जाना अंकित है। विमला, चेतना गोस्वामी, विजय गोस्वामी के आधार कार्ड पर पिता का नाम भगवान गिरी होना अंकित है। रेस्पोडेन्टस को भी तारावती के खातेदार गोपाल की पुत्री होने से तथा अपीलांटस एवं रेस्पो.सं. 12 के मृतक तारावती के वारिस होने से इन्कारी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्री अपने पिता की कृषि भूमि में निहित हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है तथा माता के हिस्से में उसके विधिक वारिसान का हक निहित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच का प्रथमदृष्टया अभाव पाया गया है। बिना जांच तस्दीक किया गया नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाकर मृतक खातेदार के विधिक वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि मृतक खातेदार गोपाल के विधिक वारिसान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक करने की नियमान्तर्गत कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी